अध्याय-दस

एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचन.

एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचनों में मतदान तथा उनकी गणना.

103. जब कभी एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचन करना हो तो ये विनियम मतदान और उनकी संगणना के लिये लागू होंगे.

104. परिभाषाएं- इन विनियमों में :-

(1) अभिव्यक्ति "बने रहने वाले उम्मीदवार " से आशय किसी ऐसे उम्मीदवार से है जो निर्वाचित नहीं हुआ हो और किसी दिये गये समय पर मतदान से अपवर्जित नहीं किया गया है.

(2) अभिव्यक्ति "प्रथम अधिमान" से आशय अंक 1 "द्वितीय अधिमान" से अंक 2 और "तृतीय अधिमान" से अंक 3 है, जो कि किसी उम्मीदवार के नाम से सामने लिखा है.

(3) अभिव्यक्ति "अनि: शेषित" पत्र से आशय उस मतपत्र से है, जिस पर बने रहने वाले उम्मीदवार के लिये अपर अधिमान अभिलिखित है.

(4) अभिव्यक्ति "नि:शेषित पत्र" से आशय उस मतपत्र से है, जिस पर बने रहने वाले उम्मीदवार के लिए कोई अपर अधिमान अभिलिखित नहीं है परन्तु किसी पत्र के बाबत किसी ऐसी सूरत में जिसमें कि-

(क) दो या अधिक उम्मीदवार के नाम, चाहे वे रहने वाले हों या न हों एक ही अंक से चिन्हित हैं और अधिमान क्रम में अगले हैं, या

(ख) अधिमान क्रम में अगले उम्मीदवार का नाम भले ही वह बना रहने वाला हो ऐसे अंक से जो कि मतपत्र पर किसी दूसरे अंक का अव्यवहित अनुगामी अंक नहीं है या दो या अधिक अंकों से चिन्हित है.

(5) अभिव्यक्ति "मूलमत" से आशय किसी उम्मीदवार के संबंध में उस मत से हैं, जो कि ऐसे मतपत्र से व्युत्पन्न है, जिसमें ऐसे उम्मीदवार के लिये प्रथम अधिमान अभिलिखित है.

(6) अभिव्यक्ति "हस्तान्तरित मत" से आशय किसी उम्मीदवार के संबंध में उस मत से है जिसका मूल्यांकन या जिसके मूल्यांकन का भाग ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में जमा है और जो ऐसे मतपत्र से व्युत्पन्न है जिस पर ऐसे उम्मीदवार के लिये द्वितीय या पश्चात्वर्ती अधिमान अभिलिखित है.

(7) अभिव्यक्ति "अधिमात्र" से आशय उस संख्या से है जितनी कि किसी उम्मीदवार के मूल ओर हस्तान्तरित मतों का मूल्यांकन निर्धारित संख्या (कोटा) से अधिक में है.

मतदान.

105. (1) सभी सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा.

(2) कोई मत प्रतिनिधियों द्वारा नहीं दिया जायेगा.

106. (1) सचिव, निर्वाचन अधिकारी का कार्य संपादन करेगा और इन विनियमों के अधीन रहते हुए, समस्त कार्य करेगा जो निर्वाचन को संपादित करने के लिए आवश्यक हों.

(2) सचिव द्वारा मनोनीत विधान सभा का कोई अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी के पद पर कार्य कर सकता है और वह निर्वाचन अधिकारी के सभी कर्त्तव्य और कार्य कर सकता है.

107. (1) मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा. निर्वाचन अधिकारी यह निश्चय करेगा कि जो व्यक्ति मत देना चाहता है, वह ऐसा सदस्य है जिसने उस समय तक मत नहीं दिया है, और वह उसका नाम मतपत्रों की पुस्तक में जो निर्वाचन के कार्य के लिये उपलब्ध की जायेगी एक मतपत्र के दूसरे पर्त (Counterfoil) पर लिखेगा और उसके पश्चात् दूसरी पर्त से संबंधित मतपत्र को पुस्तक में से फाड़ देगा और उस सदस्य को दे देगा, निर्वाचन के लिये जितने उम्मीदवार होंगे उन सबके नाम प्रत्येक मतपत्र में होंगे और वह परिशिष्ट-5 में दिये गये प्ररूप के अनुसार होगा.

(2) जब किसी सदस्य को मतपत्र मिल जाये तो वह उसको लेकर उस मेज पर जायेगा जो इस कार्य के लिये रखी गई है, और इसके पश्चात् उपबंधित रीति से यह चिन्हित करेगा कि वह अपना मत किसको देना चाहता है. इसके उपरान्त सदस्य मतपत्र को मोड़ेगा और उसको निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख रखी गई मतपेटी में डालेगा.

(3) यदि कोई सदस्य असावधानी से किसी मतपत्र को विनष्ट कर दे, वह उसको निर्वाचन अधिकारी को वापस कर सकता है, जो यदि ऐसी असावधानी के बारे में उसका समाधान हो जाये, तो उसको दूसरा मतपत्र देगा और विनष्ट पत्र को रख लेगा और वह विनष्ट पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा, और इस प्रकार निरस्त किये जाने का तथ्य उसकी दूसरी पर्त (Counterfoil) पर लिख दिया जायेगा.

108. प्रत्येक सदस्य केवल एक मतपत्र रखेगा. सदस्य को अपना मतपत्र देते समय :-

(क) अपने मतपत्र में उस सदस्य के नाम के सम्मुख के चौखाने में जिसको वह अपना मत देना चाहता है, 1 का अंक बना देना चाहिये.

(ख) इसके अतिरिक्त वह अपने मतपत्र में अंक 2, अथवा अंक 2, 3 अथवा 2, 3 और 4 इसी प्रकार आगे के अंक उस ग्राह्यता के क्रम से कि जो वह उनको देना चाहे अन्य उम्मीदवारों के नाम के सम्मुख बने हुए चौखाने में बना सकता है.

109. मतपत्र अवैध होगा :-

(क) जिस पर कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर कर दे, या कोई शब्द लिख दे या चिन्ह बना दे कि जिससे वह पहचाना जा सके, या

(ख) जिस पर निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, या

(ग) जिस पर अंक 1 अंकित नहीं है, या

(घ) जिस पर अंक 1 से अधिक उम्मीदवार के नाम के सामने लिखा है या ऐसे स्थान पर लिखा है जिससे कि यह संदेहास्पद हो जाता है कि किस उम्मीदवार को लागू होने के लिये वह आशयित है, या

(ङ) जिस पर अंक 1 और कुछ अन्य अंक एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने लिखे हैं.

मतों की संगणना

110. मतपत्रों का परीक्षण किया जायेगा और निर्वाचन अधिकारी, जो मतपत्र अमान्य हैं उनको खारिज करने के पश्चात् अवशिष्ट मतपत्रों को प्रत्येक उम्मीदवार के लिये अभिलिखित प्रथम अधिमान क्रम से पुलिंदों (पार्सलों) में रखेगा.

111. (1) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक पुलिन्दे (पार्सल) में के मतपत्रों को मिलायेगा और संबंधित उम्मीदवार के नाम में उन मतपत्रों के मूल्यांकन लिखेगा, वह वैध मतपत्रों की कुल संख्या भी सुनिश्चित और अभिलिखित करेगा.

(2) इन विनियमों में विहित प्रक्रियाओं को सुकर बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक वैध मतपत्र के बाबत यह समझा जायेगा कि उनका मूल्यांकन एक सौ है.

(3) इन विनियमों के उपबंध का पालन करने में निर्वाचन अधिकारी अपूर्णांक पर कोई ध्यान नहीं देगा और उम्मीदवार निर्वाचित हो चुके हैं, या निर्वाचन से पृथक् कर दिये गये हैं उनके लिये लिखी हुई ग्राह्यताओं पर भी ध्यान नहीं देगा.

112. निर्वाचन अधिकारी समस्त पुलिंदों (पार्सल) के पत्रों के मूल्य को एक साथ जोड़ेगा और उस जोड़ में उस संख्या से भाग देगा जो जितने स्थानों की पूर्ति होना है. उनसे एक अधिक हो और भागफल में एक बढ़ाने से वह संख्या प्राप्त होगी कि जो किसी उम्मीदवार के निर्वाचित होने के लिये पर्याप्त समझी जायेगी जिसको इसके पश्चात् निर्धारित संख्या (कोटा) कहा जायेगा.

113. यदि किसी भी समय किसी भी उम्मीदवार के नाम लिखे गये मतपत्रों का मूल्यांकन निर्धारित संख्या (कोटा) के बराबर है या निर्धारित संख्या (कोटा) से अधिक है तो वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा.

114. (1) यदि किसी भी समय किसी उम्मीदवार के नाम लिखे मतपत्रों का मूल्यांकन निर्धारित संख्या (कोटा) से अधिक है , तो अधिमात्र उन बने रहने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में इस नियम के उपबंधों के अनुसार हस्तांतरित कर दिया जायेगा जो कि उस उम्मीदवार के मतपत्रों में निर्वाचक के अधिमान क्रम में निकटतम अनुगामी के रूप से उपदर्शित है.

(2) यदि एक से अधिक उम्मीदवारों को अधिमात्र प्राप्त है तो अधिकतम अधिमात्र पहले बरता जायेगा और अपने परिणामक्रम के अनुसार दूसरों से बरता जायेगा.

परन्तु मतों की प्रथम संगणना में उद्भूत प्रत्येक अधिमात्र दूसरी संगणना में उद्भूत अधिमात्र से पहले बरता जायेगा और इसी क्रम में अनुवर्ती अधिपत्रों में बरता जायेगा.

(3) यदि जब कभी विभाजन के लिये एक से अधिक अधिमात्र हैं, और दो या अधिक अधिमात्र समान है वहां प्रत्येक उम्मीदवार के मूल मतों को ध्यान में रखा जायेगा, और जिस उम्मीदवार को सबसे कम मूल मत मिले हैं उसका अधिमात्र सर्वप्रथम वितरित किया जायेगा. यदि उनके मूल मतों का मूल्यांकन समान है, तो निर्वाचन अधिकारी, चिट्ठी डालकर यह विनिश्चय करेगा कि किस उम्मीदवार को अधिमात्र सर्वप्रथम वितरित किया जायेगा.

(4) (क) यदि किसी उम्मीदवार का यह अधिमात्र जो हस्तांतरित किया जाना है, केवल मूल मतों से ही उद्भूत हुआ है तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार के पुलिन्दे (पार्सल) में से समस्त मतपत्रों की जांच पड़ताल करेगा, अनि:शेषित पत्रों को उनमें अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमानों के क्रम से छोटे पुलिन्दे (पार्सलों) विभाजित करेगा और नि:शेषित मतपत्रों का एक पृथक् छोटा पुलिन्दा (उप-पार्सल) बनायेगा.

(ख) वह प्रत्येक छोटे पुलिन्दे (उप-पार्सल) के मतपत्रों और समस्त अनि:शेषित मतपत्रों का मूल्यांकन अभिनिश्चित करेगा.

(ग) यदि अनि:शेषित मतपत्रों का मूल्यांकन अधिमात्र के बराबर है या उससे कम है तो वह समस्त अनि:शेषित मतपत्रों को उस मूल्यांकन पर हस्तांतरित करेगा जिस पर कि वे उस उम्मीदवार को प्राप्त हुए थे जिसका अधिमात्र हस्तांतरित किया जा रहा है, हस्तांतरित करेगा.

(घ) यदि अनि:शेषित मतपत्रों का मूल्यांकन अधिमात्र से अधिक है तो वह अनि:शेषित मतपत्रों के छोटे पुलिन्दों (उप-पार्सल) का हस्तांतरण करेगा और वह मूल्यांकन जिस पर प्रत्येक मतपत्र हस्तांतरित किया जायेगा, अधिमात्र को अनि:शेषित मतपत्रों की कुल संख्या से विभक्त करके अभिनिश्चित किया जायेगा.

(5) यदि किसी उम्मीदवार का वह अधिमात्र जो कि हस्तान्तरित किया जाना है हस्तान्तरित और मूल मतों से उद्भूत हुआ है तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार के सबसे अन्त में हस्तान्तरित छोटे पुलिन्दों (उप-पार्सल) में के समस्त मतपत्रों की पुन: जांच पड़ताल करेगा, नि:शेषित मतपत्रों को उन पर अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमानों के क्रम से छोटे पुलिन्दों (उप-पार्सलों) में विभक्त करेगा और समस्त छोटे पुलिंदों (उप-पार्सलो) से उसी रीति में बरतेगा जैसा कि उप-नियम (4) में निर्दिष्ट छोटे पुलिन्दों (उप-पार्सलों) की अवस्था में मामलों में उपबंधित है.

(6) प्रत्येक उम्मीदवार को हस्तान्तरित मतपत्र ऐसे उम्मीदवार के पहले से ही मतपत्रों में छोटे पुलिन्दों (उप-पार्सलों) के रूप में मिला दिये जायेंगे.

(7) निर्वाचित उम्मीदवार के पुलिन्दे (पार्सल) के छोटे पुलिन्दें (उप-पार्सल) में के वे समस्त मतपत्र जो इस नियम के अधीन हस्तांतरित नहीं किये गए हैं अन्तिमरूपेण बरते गये रूप में रख दिए जायेंगे.

11. (1) यदि सब अधिमात्रों के ऐसे अन्तरित कर दिये जाने के पश्चात् जैसे कि एतद्पूर्व उपबन्धित है निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम है तो निर्वाचन अधिकारी मतदान में के निम्नतम उम्मीदवारों को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उसके अनि:शेषित मतपत्रों के बने रहने वाले उम्मीदवारों के बीच उन निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार वितरित कर देगा जो कि उन पर अभिलिखित हैं और किन्हीं नि:शेषित मतपत्रों को अन्तिमरूपेण बरते हुए के रूप में अलग रख देगा.

(2) अपवर्जित उम्मीदवार के मूल मतों को अन्तर्विष्ट रखने वाले मतपत्र प्रथम हस्तान्तरित किए जायेंगे और प्रत्येक मत का हस्तान्तरण मूल्य एक सौ होगा.

(3) अपवर्जित उम्मीदवार के अन्तरित मतों को अन्तर्विष्ट रखने वाले मतपत्र तब हस्तान्तरणों को उसके क्रम में, जिसमें कि और उस मूल्यांकन पर, जिसमें उसने उन्हें अभिप्राप्त किया था, हस्तांतरित किए जायेंगे.

(4) ऐसे प्रत्येक हस्तांतरण के बाबत यह समझा जाएगा कि वह पृथक् हस्तांतरण है.

(5) इन विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया मतदान में निम्नतम उम्मीदवार में से एक के पश्चात् दूसरे के उत्तरोत्तर अपवर्जन मे तब तक बार-बार बरती जायेगी जब तक कि ऐसी रिक्तता या दो निर्धारित संख्या (कोटा) सहित उम्मीदवार के निर्वाचन द्वारा या एतद्पश्चात् उपबंधित रूप में भर न जाए.

(6) यदि किसी उम्मीदवार का अपवर्जन करना आवश्यक हो जाये और दो या अधिक उम्मीदवारों के मतों में का मूल्यांकन एक ही है और वे मतदान में निम्नतम हैं तो प्रत्येक उम्मीदवार के मूल मतों को विचार में लिया जायेगा और जिस उम्मीदवार को न्यूनतम मूल मत मिले हैं उसे अपवर्जित कर दिया जाएगा. यदि मूल मतों का मूल्यांकन बराबर है तो निर्वाचन अधिकारी चिट्ठी डालकर यह निर्णय करेगा कि किस उम्मीदवार का अपवर्जन पहले किया जाए.

116. यदि मतों के हस्तांतरण के फलस्वरूप उम्मीदवार द्वारा अभिप्राप्त मतों का मूल्यांकन निर्धारित संख्या (कोटा) के बराबर या इससे अधिक हो जाता है तो उस समय चलने वाले संगणना पूरी की जाएगी किन्तु कोई अन्य मतपत्र उसे हस्तांतरित न किये जायेंगे.

117. (1) जब बने रहने वाले उम्मीदवारों की संख्या घटाकर न भरी गई, अवशिष्ट रिक्तताओं की संख्या के बराबर हो जाती है तो बने रहने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित किया, घोषित किया जाएगा.

(2) जब केवल रिक्तिता बिना न भरी रह जाती है और किसी एक उम्मीदवार के मतपत्रों का मूल्यांकन किसी हस्तान्तरित न किए गए अधिमात्र सहित अन्य बने रहने वाले उम्मीदवारों का कुल मूल्यांकन से आधिक्य में है तो वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाएगा.

(3) जब केवल एक रिक्तिता बिना भरी रह जाती है और दो बने रहने वाले उम्मीदवारों ही रह गए हैं और उनमें से प्रत्येक के मतों का मूल्यांकन एक बराबर है और कोई हस्तांतरण के योग्य अधिमात्र नहीं रहे हैं तो विनियम 115 (6) के उपबन्धों के अनुसार उनमें से एक को पृथक् कर दिया जायेगा और दूसरा उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाएगा.

118. जब मतों की संगणना पूर्ण हो जाए तो निर्वाचन अधिकारी यथाविधि निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण अध्यक्ष के

पास तुरन्त भेजेगा और अध्यक्ष द्वारा ऐसे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, यदि विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो, सदन में की जाएगी.

119. निर्वाचन अधिकारी नामांकन और मतपत्रों को एक मुहरबन्द लिफाफे में रखेगा जो कि एक वर्ष की अवधि तक परिरक्षित रखा जायेगा.